



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1970/फाल्गुन 16, 1891

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1970/PHALGUNA 16, 1891

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

### नोटिस

### NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 18 फरवरी, 1970 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the  
18th February, 1970.—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
18	G.S.R. 217, dated 3rd February, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.	The Fertiliser (Control) Amendment Order, 1970.
19	G.S.R. 218, dated 4th February, 1970.	Do.	Rescission of Order No. G.S.R. 93, dated 11th January, 1965.
20	G.S.R. 219, dated 9th February, 1970.	Ministry of Law.	Erratum to G.S.R. No. 2639, dated 12th November, 1969.

8 9 10 11 12 13 14

लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर ।	स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड) — यह न होने पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समान पदों पर काम करने वाले अभिकर्तारियों में से (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत आवक है ।
------------------	------------------	------------------	---------------------------------------	--	----------------	--

[संख्या 17(1)/69-बी-(ए)]

*New Delhi, the 24th February, 1970.*

**G.S.R. 406.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after Serial No. 63 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

SCHE

S. No.	Particulars of the posts			Methods of recruitment and percentage of vacancies to be filled up by			
	Name of the post	Classification, Character and status of the post	Scale of pay of the post	Direct recruitment	Promotion	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.				
"64	Head Clerk/ Accountant.	General Central Services Class III Non-Gazetted Mi- nisterial.	210—10— 290—15 —320— EB—15 —380.	Not appli- cable.	By promotion. 50% from amongst Clerk Grade II/Clerk Grade I/ Stenographers (both junior and senior scale) and Store- keepers with a minimum of five years service in any of the grades on the basis of a qualifying depart- mental examination.  50% by promotion on the basis of seniority-cum- fitness from amongst Clerk Grade I/Store- keepers with a minimum of 20 years service quali- fying for seniority as Clerk Grade II or Grade I/Store- keepers out of which at least seven years service should be in the grade of Clerk Grade I/Store-kee- pers.		Not appli- cable.

DULR

Qualifications etc. for direct recruitment		Period of probation	Qualifications etc. for recruitment by promotion/transer	
Age limit	Educational and other qualifications required		Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotions/transfer	Grades/Sources from which promotion/transfer is to be made
9	10	11	12	13

Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Not applicable.	Clerks Grade II and I, Stenographers (junior and senior scale) and Store-keepers in All India Radio offices/station.
-----------------	-----------------	------------	-----------------	--

**NOTE :—**A common seniority list will be maintained for Clerks Grade II and I/Store-keepers and Stenographers (junior and senior scale) working in the All India Radio Stations and Offices located in a State or a group of States and Union Territories as indicated below and promotions and transfers shall be made within a State or a group of States and Union Territories on the basis of the said list.

*State/Group of States.*

1. Assam, Nagaland, Manipur, Tripura.
2. Archa Pradesh.
3. Bihar.
4. Delhi.
5. Gujarat.
6. Kerala.
7. Madras, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island.
8. Mysore.
9. Maharashtra, Goa.
10. Madhya Pradesh.
11. Orissa.
12. Punjab, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Union Territory of Chandigarh, Haryana.
13. Rajasthan.
14. Uttar Pradesh.
15. West Bengal.

[No. 20/8/67-B(A)]

A.V. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी 1970

जी० एस्० आर० 406—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 63 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:—

क्रम संख्या	पदों का विवरण			भर्ती का तरीका तथा जिस अनुपात से रिक्तियां भरी जानी हैं			
	पद का नाम	पद का वर्गीकरण, स्वरूप तथा दर्जा	पद का वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	स्थानान्तरण	चयन प्रवृत्ता/योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8
64	मुख्य लिपिक लेखाकार	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	210-10-290 15-320-६० आ०-15-380 रुपये	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	उन लिपिक ग्रेड 2/लिपिक ग्रेड 1/स्टेनोग्राफर (जूनियर तथा सीनियर स्केल) तथा स्टोरकीपरों जिनकी किसी भी ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा हो, में से अर्हक विभागीय परीक्षा के आधार पर 50 प्रतिशत। उन लिपिक ग्रेड 1/स्टोरकीपरों, जिनकी लिपिक ग्रेड 2 या ग्रेड 1/ स्टोरकीपर के रूप में न्यूनतम

आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं आदि शैक्षणिक तथा अन्य अर्हतायें	परि- वीक्षा- धीन अवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए अर्ह- तायें आदि सीधी भर्ती के लिए जो आयु और शैक्षणिक अर्हतायें हैं क्या वे पदोन्नति/स्था- नान्तरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए भी लागू होगी।	वे ग्रेड/स्रोत जिन से पदोन्नति/स्था- नान्तरण किया जाना है।
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता	आकाशवाणी के कार्यालयों/ केन्द्रों के लिपिक ग्रेड 2 तथा 1 स्टेनोग्राफर (जूनियर तथा सीनियर स्केल) तथा स्टोरकीपर।

---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

---

20 वर्ष की अर्हक सेवा हो,  
जिसमें से कम से कम 7  
वर्ष की सेवा लिपिक ग्रेड  
1/स्टोर कीपर के रूप में  
हो, में से प्रवरता एवं,  
योग्यता के आधार पर  
पदोन्नति द्वारा 50 प्रति-  
शत ।

---

9

10

11

12

13

नोट:—नीचे दिए अनुसार राज्य या राज्यों एवं संघ प्रशासित क्षेत्रों के समूह में स्थित आकाश-घाणी के कार्यालयों तथा केन्द्रों में कार्य करने वाले लिपिक ग्रेड 2 तथा ग्रेड 1/स्टोरकीपर तथा स्टेनोग्राफरों की एक सामान्य प्रवृत्ता सूची रखी जायगी तथा इस सूची के आधार पर राज्य या राज्यों तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों के समूह के अन्दर अन्दर पदोन्नति तथा स्थानान्तरण किया जाएगा ।

### राज्य/राज्यों के समूह

1. आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा ।
2. आन्ध्र प्रदेश ।
3. बिहार ।
4. दिल्ली ।
5. गुजरात ।
6. केरल ।
7. मद्रास, पांडीचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।
8. मैसूर ।
9. महाराष्ट्र और गोआ ।
10. मध्य प्रदेश ।
11. उड़ीसा ।
12. पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश संघ प्रशासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ और हरियाणा ।
13. राजस्थान ।
14. उत्तर प्रदेश ।
15. पश्चिम बंगाल ।

[संख्या एफ० 20/8/67-बी(ए)]

ए० बी० नारायणन,  
अवर सचिव ।